न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वां, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 05/2021, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल सुरेश पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना पुलिस थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: अधिवक्ता गैर सायल श्री चरण सिंह डोई उपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांकः–27.09.2023**

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल सुरेश पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना पुलिस थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुये है तथा अदालत से सजा व जुर्माना हुये है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	183/19	13.04.2019	13 RPGO	105/19	17.04.2019	सजा 200/– अर्थदंड दिनांक 23.07.2019
2.	577/19	12.10.2019	13 RPGO	319/19	19.10.2019	सजा 200/– अर्थदंड दिनांक 23.07.2019

उक्त शख्स सुरेश पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना पुलिस थाना महवा जिला दौसा जुआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगों को भी जुंआ खेलने के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निर्बाध रूप से जारी हैं। जिससे गैरसायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते हैं। उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री चरण सिंह डोई उपस्थित आये। गैर सायल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की पुलिस थाना क्षेत्र महवा जिला दौसा में निवास करने वाला गैर सायल सुरेश पुत्र ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा थाना महवा जिला दौसा क्षेत्र का आदतन जुआ खेलने का आदि है तथा रूपयो पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैर सायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश करने एवं न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतोंएवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है। बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है। जिससे एक ओर जहां वह स्वयं को ईलाके का सट्टा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिये युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है। जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्ध ना तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण स्वतंत्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को दे पा रहे है। उक्त शख्स को आदतन अपराधी मानते हुये गुण्डा एक्ट के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैर सायल सुरेश पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाटव उम्र निवासी विराना पुलिस थाना महवा जिला दौसा को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता गैर सायल ने जवाब बहस में तर्क दिया कि थानाधिकारी पुलिस थाना महवा द्वारा प्रार्थी पर झूंठे आक्षेप लगाते हुये इस्तगासा पेश किया गया है। प्रार्थी को पुलिस थाना महवा ने झूंठे आरपीजीओ के प्रकरण में लिप्त करते हुये गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में चालान पेश किया। जिसमे प्रार्थी द्वारा निर्दोष होने के बावजूद मुकदमेबाजी से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर अपने विरूद्ध लगे हुये झूंठे प्रकरण को समाप्त करवा लिया। प्रार्थी के विरूद्ध आरपीजीओ के अलावा अन्य कोई प्रकरण ना तो पूर्व में दर्ज हुआ और ना ही वर्तमान में दर्ज है। प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरणपोषण करता है एवं सादा जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रार्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति को जुंआ खेलने, खाईवाली करने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अपराध के लिये प्रेरित नहीं किया गया है। प्रार्थी पर इस सम्बन्ध में झूंठे आक्षेप पुलिस द्वारा लगाये गये है। प्रार्थी सीधा सादा सरल स्वभाव का व्यक्ति है जो कि मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस ने झूंठा आरपीजीओ का मुकदमा दर्ज कर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की है जो कि किसी भी रूप में गुण्डा एक्ट की परिधि में नहीं आता है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की जा रही गुण्डा एक्ट की कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करे।

बहस लोक अभियोजक व अधिवक्ता गैर सायल पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत इस्तागासा अनुसार गैर सायल सुरेश पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना पुलिस थाना महवा जिला दौसा पुलिस थाना क्षेत्र महवा जिला दौसा में आदतन जुंआ सट्टा खेलने में सक्रिय रूप से लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं समाज के नवयुवक वर्ग को जुअे सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल सुरेश पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाटव निवासी विराना पुलिस थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 28.09.2023 से 20(बीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा जिला दौसा के रास्ते होते हुए थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र हिण्डौन सिटी जिला करौली में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं करौली को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा